प्रेस नोट दिनांक 17.06.2026 जनपद प्रतापगढ़
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही : धर्मांतरण, अपहरण व पाक्सो एक्ट प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा “धर्म संपरिवर्तन, अपहरण व पाक्सो एक्ट ” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
वादी की तहरीर के आधार पर उसकी 17 वर्षीय भांजी को बहला-फुसलाकर ले जाने, धर्म संपरिवर्तन, विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 251/2026 धारा 137(2), 87, 352, 351(3), 143(4) बीएनएस, एससी/एसटी एक्ट, पाक्सो एक्ट तथा उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का० जितेन्द्र चौहान व रि0का0 अविनाश कुमार यादव व रि0का0 गोलू द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 251/26 धारा 137(2)/87/352/351 (3)/143 (4)/74 BNS व 3 (1), 3 (1)ध, 3(2)V, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5 (3) उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना पट्टी प्रतापगढ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त 1.अलताफ रजा पुत्र शेर अली उर्फ शेरे निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर पंचायत भवन सरसतपुर के एक कमरे से बुर्का बरामद कर विधिक कार्यवाही करते हुए कब्जे पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त अल्ताब रजा ने बताया कि वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा उसे एक अज्ञात व्यक्ति के कहने पर उसके सुपुर्द करने की योजना बना रहा था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था तथा बाहर ले जाते समय उसे बुर्का पहनाता था। अभियुक्त की निशानदेही पर पंचायत भवन सरसतपुर के एक कमरे से बुर्का बरामद कर विधिक कार्यवाही करते हुए कब्जे पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अलताफ रजा पुत्र शेर अली उर्फ शेरे निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी- 01 बुर्का

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का० जितेन्द्र चौहान व रि0का0 अविनाश कुमार यादव व रि0का0 गोलू थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद बनवासी को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड पाईपनुमा
अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गजेहरा जंगल के पास प्रतापगढ़-प्रयागराज सड़क मार्ग से गिरफ्तार किया गया है।

प्रतापगढ़।
दिनांक 09.06.2026 को समय लगभग 07ः:30 बजे शाम थाना देल्हूपुर क्षेत्रातंर्गत प्रार्थी के पुत्र प्रदीप कुमार सरोज के बाजार से वापस लौटते समय ग्राम के ही विपक्षियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी, डण्डा व लोहे की रॉड से मारपीट की। मारपीट में प्रदीप कुमार के सिर, गर्दन एवं आंख में चोटें आईं इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 90/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 उपेन्द्र कुमार, रि0आ सुनील कुमार रि0 आ0 ओमप्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0स0 90/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना देल्हूपुर से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद बनवासी पुत्र स्व0 सीताराम उर्फ डाही निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गजेहरा जंगल के पास प्रतापगढ़-प्रयागराज सड़क मार्ग से गिरफ्तार किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 09.06.2026 को शाम को जब वादी का लड़का अकेले बाजार से लौट रहा था तो मैंने गांव के रवि कुमार उर्फ परधान, किशन कुमार उर्फ वकील व यशोदा देवी के साथ मिलकर हम चारों लोगों ने उसे पुरानी रंजिश की बात को लेकर जान से मारने की नियत से गाली गलौज देते हुये लाठी

व लोहे की राड से मारा पीटा था। जब हल्ला गुहार सुनकर आसपास के लोग व उसके परिवार के लोग दौड़कर आये तो हम लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये थे। फिर रवि कुमार उर्फ परधान, किशन कुमार उर्फ वकील व यशोदा देवी तो अपनी रिश्तेदारी प्रतापगढ़ में चले गये थे और मैं इलाहाबाद की तरफ भाग गया था। फिर आज रात चुपके से आज सराय प्रानमती आया था आज मैं अपने गाँव से आकर यहाँ पर प्रयागराज जाने के लिये बस के इंतजार में खड़ा था और आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राजेन्द्र प्रसाद बनवासी पुत्र स्व0 सीताराम उर्फ डाही निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड पाईपनुमा बरामद।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
1. रवि कुमार उर्फ प्रधान पुत्र गुड्ड बनवासी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
2. किशन कुमार उर्फवकील पुत्र गुड्ड बनवासी उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
3. यशोदा देवी पत्नी गुड्ड बनवासी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 उपेन्द्र कुमार, रि0आ सुनील कुमार रि0 आ0 ओमप्रकाश यादव थाना देल्हुपुर जनपद प्रतापगढ़।